बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम 1968

(1968 का अधिनियम संख्यांक 24)

[22 मई, 1968]

बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन और इससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन[1]" से वह दिन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ख) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र", "परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र" और "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" के वे ही अर्थ हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में उनके हैं ;

(ग) गंगा नदी या घाघरा नदी के सम्बन्ध में "गहरी धारा" से उसकी ऐसी गहरी धारा अभिप्रेत है जो उस वर्ष के जिसमें नियत दिन पड़ता है पूर्ववर्ती वर्ष के 30 सितम्बर के पश्चात् और उस वर्ष की जिसमें नियत दिन पड़ता है, 1 जनवरी से पूर्व, बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा सत्यापित और करार पाई हुई हों तथा राज्य सरकारों के बीच हुए किसी करार के अभाव में, ऐसी गहरी धारा अभिप्रेत है जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए जिसे केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे ;

(घ) "नियत सीमा" से, यथास्थिति, गंगा नदी या घाघरा नदी के सम्बन्ध में, धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन सीमांकित सीमा रेखा अभिप्रेत है ;

(ङ) "विधि" के अन्तर्गत कोई ऐसी अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना, या अन्य लिखत भी है जो सम्पूर्ण बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य में या उसके किसी भाग में विधि का बल रखती हो;

(च) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) संसद् के या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी सदन के सम्बन्ध में "आसीन सदस्य" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन का सदस्य हो ;

(झ) "अन्तरित राज्यक्षेत्र" से—

(i) बिहार राज्य के सम्बन्ध में वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो इस अधिनियम द्वारा उस राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य को अन्तरित किए गए हैं ; तथा

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो इस अधिनियम द्वारा उस राज्य से बिहार राज्य को अन्तरित किए गए हैं ;

(ञ) किसी राज्य के किसी जिले के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र के प्रति निर्देश है जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस जिले में भौतिक रूप से समाविष्ट हो ।

---

[1] 10-6-1970: देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 901, तारीख 9-6-1970, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i) पृष्ठ 543.

भाग 2

राज्यक्षेत्रों का अन्तरण

3. राज्यक्षेत्रों का अन्तरण—(1) नियत दिन से ही—

(क) बिहार राज्य में—

(i) उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के वे सभी राज्यक्षेत्र जो नियत सीमा और घाघरा नदी की गहरी धारा के बीच पड़ते हैं, तथा

(ii) उस जिले के वे सभी राज्यक्षेत्र जो नियत सीमा और गंगा नदी की गहरी धारा के बीच में पड़ते हैं,

जोड़ दिए जाएंगे, और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के भाग न रह जाएंगे ; तथा

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में,—

(i) बिहार राज्य के सारन जिले के वे सभी राज्यक्षेत्र जो नियत सीमा और घाघरा नदी की गहरी धारा के बीच में पड़ते हैं, तथा

(ii) बिहार राज्य के शाहाबाद जिले के वे सभी राज्यक्षेत्र जो नियत सीमा और गंगा नदी की गहरी धारा के बीच में पड़ते हैं,

जोड़ दिए जाएंगे और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र बिहार राज्य के भाग न रह जाएंगे ।

(2) गंगा और घाघरा नदियों में से हर एक के सम्बन्ध में नियत सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार सीमांकित की जाएगी कि वह उस नदी के सम्बन्ध में अनुसूची में वर्णित सीमा रेखा के साधारणत: अनुरूप रहे :

परन्तु ऐसे सीमांकन की प्रक्रिया में, उक्त प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह, यथास्थिति, गंगा नदी या घाघरा नदी के ऊंचे किनारों के बीच सीमा-संरेखण को उस विस्तार तक सुव्यवस्थित करे जिस तक कि वह आवश्यक समझे, और विशिष्टत: वह :—

(क) यथासम्भव, सीमा-स्तम्भों की स्थिरता और सूखे तथा बाढ़ दोनों ही मौसमों में सीमा-संरेखण के पहचाने जाने को सुनिश्चित करने का ; तथा

(ख) यथासम्भव, वर्तमान आबादियों के बांटे जाने से बचने का,

प्रयत्न करेगा ।

(3) ऐसे सीमांकन के प्रयोजनों के लिए—

(क) अनुसूची में दिए गए सीमा के वर्णन के किसी भी भाग के निर्वचन से संबद्ध किसी भी विषय पर (जिसके अन्तर्गत उस सुसंगत अभिलेख का अवधारण भी है जो अनुसूची के स्पष्टीकारक टिप्पण में निर्दिष्ट है), उक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(ख) उक्त प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह उन बिन्दुओं का अवस्थान अवधारित करे जिन पर सीमा-स्तम्भ सन्निर्मित किए जाएंगे और उस राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट करे जो ऐसे बिन्दुओं पर सीमा-स्तम्भ, ऐसे विनिर्देशों के अनुसार सन्निर्मित और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगी जो वह प्राधिकारी (समान विनिर्देशों वाले स्तम्भ दोनों राज्य सरकारों में, यथासाध्य, बराबर-बराबर प्रभाजित करते हुए) उपदर्शित करे और इन विषयों के बारे में उक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(ग) उक्त प्राधिकारी के लिए और उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह सीमारेखा के सामीप्य के किसी क्षेत्र में प्रवेश करे और उसका सर्वेक्षण करे, और वे सभी अन्य कार्य करे जो आवश्य हों ।

(4) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अन्तरित राज्यक्षेत्रों का मानचित्र भी तैयार करेगा जिसमें,—

(क) यथास्थिति, घाघरा नदी या गंगा नदी की गहरी धारा और उस नदी के सम्बन्ध में नियत सीमा दर्शित की जाएगी ;

(ख) अन्तरित राज्यक्षेत्रों के गांवों के नाम और सीमाएं जैसी कि वे उन राज्यक्षेत्रों के अन्तरण से पहले उन पर अधिकारिता रखने वाली सरकार द्वारा, उस सरकार के उन राजस्व अभिलेखों के प्रति निर्देश से, उपदर्शित की गई हों जो ऐसे मानचित्र की तैयारी से ठीक पूर्व प्रवर्तित थे, दर्शित की जाएंगी,

और उस मानचित्र को केन्द्रीय सरकार को भेज देगा जो अन्तरित राज्यक्षेत्रों में उसका प्रकाशन ऐसी रीति से कराएगी जो वह ठीक समझे ।

(5) नियत दिन से ही बिहार या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन उस राज्य को अन्तरित राज्यक्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबन्ध, उन्हें या उनके किसी भाग को ऐसे जिले, उपखण्ड, पुलिस थाने या अन्य प्रशासनिक इकाई में सम्मिलित करके करेगी जिसे उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही संविधान की प्रथम अनुसूची में "1. राज्य" शीर्षक के नीचे—

(क) "3. बिहार" के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व या तो बिहार प्रान्त में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रान्त के भाग रहे हों, और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट हैं ; किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्यक्षेत्रों का अन्तरण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, और वे राज्यक्षेत्र जो प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, इससे अपवर्जित हैं।" ;

(ख) "13. उत्तर प्रदेश" के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पूर्व या तो संयुक्त प्रान्त नाम से ज्ञात प्रान्त में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रान्त के भाग रहे हों, और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में वर्णित हैं, इससे अपवर्जित हैं।"।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

5. परिसीमन आदेशों का अर्थान्वयन—(1) नियत दिन से ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों, सभा निर्वाचन-क्षेत्रों या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित किसी आदेश में—

(क) (i) बिहार राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत वे राज्यक्षेत्र भी हैं जो उस राज्य को उत्तर प्रदेश राज्य से धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अन्तरित किए गए हैं, किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य को उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन अन्तरित किए गए हैं, इससे अपवर्जित हैं ;

(ii) बिहार राज्य के किसी जिले, उपखण्ड, पुलिस थाने या अन्य प्रशासनिक इकाई के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत उस राज्य को अन्तरित राज्यक्षेत्रों का वह भाग यदि कोई हो, भी है जो धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन किए गए आदेश द्वारा उस जिले, उपखण्ड, पुलिस थाने या अन्य प्रशासनिक इकाई में सम्मिलित किया गया है ;

(ख) (i) उत्तर प्रदेश राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत वे राज्यक्षेत्र भी हैं जो उस राज्य को बिहार राज्य से धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अन्तरित किए गए हैं, किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार राज्य को उस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन अन्तरित किए गए हैं, इससे अपवर्जित हैं ;

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य के किसी जिले, उपखण्ड, पुलिस थाने या अन्य प्रशासनिक इकाई के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत उस राज्य को अन्तरित राज्यक्षेत्रों का वह भाग, यदि कोई हो, भी है जो धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन किए गए आदेश द्वारा उस जिले, उपखण्ड, पुलिस थाने या अन्य प्रशासनिक इकाई में सम्मिलित किया गया है।

6. आसीन सदस्यों के बारे में उपबन्ध—(1) किसी ऐसे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसका विस्तार इस अधिनियम के उपबन्धों के फलस्वरूप परिवर्तित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के हर आसीन सदस्य के बारे में यह, ऐसे परिवर्तन के होते हुए भी, समझा जाएगा कि वह इस प्रकार यथापरिवर्तित निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन के लिए, नियत दिन से ही, निर्वाचित किया गया है।

(2) किसी ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसका विस्तार इस अधिनियम के उपबन्धों के फलस्वरूप परिवर्तित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के हर आसीन सदस्य के बारे में यह, ऐसे परिवर्तन के होते हुए भी, समझा जाएगा कि वह इस प्रकार यथापरिवर्तित निर्वाचन-क्षेत्र से उक्त विधान सभा के लिए, नियत दिन से ही, निर्वाचित किया गया है।

(3) ऐसे किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसका विस्तार इस अधिनियम के उपबन्धों के फलस्वरूप परिवर्तित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार या उत्तर प्रदेश की विधान सभा के हर आसीन सदस्य के बारे में यह, ऐसे परिवर्तन के होते हुए भी, समझा जाएगा कि वह इस प्रकार यथा परिवर्तित निर्वाचन-क्षेत्र से उक्त विधान परिषद् के लिए, नियत दिन से ही, निर्वाचित किया गया है।

भाग 4

उच्च न्यायालय

7. पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तारण और उसे कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय,—

(क) पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तारण नियत दिन से ही उन राज्यक्षेत्रों पर हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार राज्य को इस अधिनियम द्वारा अन्तरित किए गए हैं ; तथा

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उस दिन से ही उक्त राज्यक्षेत्रों के बारे में अधिकारिता न रह जाएगी ।

(2) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियत दिन के ठीक पूर्व लम्बित ऐसी कार्यवाहियां, जिनके बारे में उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के स्थान तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रमाणित कर देता है कि वे ऐसी कार्यवाहियां हैं जिनकी सुनवाई और विनिश्चय पटना उच्च न्यायालय द्वारा होना चाहिए, ऐसे प्रमाणन के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र, पटना उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दी जाएंगी ।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय, ऐसी अपीलें, उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के आवेदन और अन्य कार्यवाहियां, उस दशा में जब ऐसी कार्यवाहियां इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियत दिन से पूर्व पारित किसी आदेश के बारे में किसी अनुतोष के लिए हों, ग्रहण करने, उनकी सुनवाई करने या उन्हें निपटाने की अधिकारिता इलाहाबाद उच्च न्यायालय को होगी, न कि पटना उच्च न्यायालय को :

परन्तु यदि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को यह प्रतीत होता है कि वे पटना उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दी जानी चाहिएं तो वह यह आदेश देगा कि वे इस प्रकार अन्तरित की जाएं और तदुपरि ऐसी कार्यवाहियां तदनुसार अन्तरित कर दी जाएंगी ।

(4) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा—

(क) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में जो उपधारा (2) के आधार पर पटना उच्च न्यायालय को अन्तरित की गई हैं, नियत दिन से पूर्व किया गया कोई आदेश, अथवा

(ख) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में जिनके बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय उपधारा (3) के आधार पर अधिकारिता रखे रहता है, किया गया कोई आदेश,

सभी प्रयोजनों के लिए न केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के रूप में, अपितु पटना उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में भी, प्रभावी होगा ।

(5) पटना उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी निदेश के अधीन रहते हुए यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियत दिन के ठीक पूर्व इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने का हकदार अधिवक्ता हो और जिसे इस निमित्त पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार राज्य को राज्यक्षेत्रों के अन्तरण को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे, पटना उच्च न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने के हकदार अधिवक्ता केरूप में मान्यता दी जाएगी ।

8. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तारण और उसे कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय—

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार नियत दिन से ही उन राज्यक्षेत्रों पर हो जाएगा जो बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश को इस अधिनियम द्वारा अन्तरित किए गए हैं ; तथा

(ख) पटना उच्च न्यायालय को उस दिन से ही उक्त राज्यक्षेत्रों के बारे में अधिकारिता न रह जाएगी ।

(2) पटना उच्च न्यायालय में नियत दिन के ठीक पूर्व लम्बित ऐसी कार्यवाहियां, जिनके बारे में उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के स्थान तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रमाणित कर देता है कि वे ऐसी कार्यवाहियां हैं जिनकी सुनवाई और विनिश्चय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा होना चाहिए, ऐसे प्रमाणन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दी जाएंगी ।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय, ऐसी अपीलें, उच्चतम न्यायालय कोअपील करने की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के आवेदन और अन्य कार्यवाहियां, उस दशा में जब ऐसी कार्यवाहियां पटना उच्च न्यायालय द्वारा नियत दिन से पूर्व पारित किसी आदेश के बारे में किसी अनुतोष के लिए हों, ग्रहण करने, उनकी सुनवाई करने या उन्हें निपटाने की अधिकारिता पटना उच्च न्यायालय को होगी, न कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को :

परन्तु यदि पटना उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात्, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को यह प्रतीत होता है कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दी जानी चाहिएं तो वह यह आदेश देगा कि वे इस प्रकार अन्तरित की जाएं और तदुपरि ऐसी कार्यवाहियां तदनुसार अन्तरित कर दी जाएंगी ।

(4) पटना उच्च न्यायालय द्वारा—

(क) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में, जो उपधारा (2) के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अन्तरित की गई हैं, नियत दिन से पूर्व किया गया कोई आदेश, अथवा

(ख) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में, जिनके बारे में पटना उच्च न्यायालय उपधारा (3) के आधार पर अधिकारिता रखे रहता है, किया गया कोई आदेश,

सभी प्रयोजनों के लिए न केवल पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के रूप में, अपितु इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के रूप में भी, प्रभावी होगा।

(5) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी निदेश के अधीन रहते हुए यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियत दिन के ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने का हकदार अधिवक्ता हो और जिसे इस निमित्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य को राज्यक्षेत्रों के अन्तरण को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने के हकदार अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाएगी।

9. धारा 7 या धारा 8 के अधीन अन्तरित किन्हीं कार्यवाहियों में उपसंजात होने का अधिकार—किसी भी व्यक्ति को, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने का हकदार अधिवक्ता हो, और धारा 7 या धारा 8 के अधीन अन्तरित की गई किन्हीं कार्यवाहियों में उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत हो, उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, उस उच्च न्यायालय में उपसंजात होने का अधिकार होगा जिसे वे कार्यवाहियां अन्तरित की गई हैं।

10. निर्वचन—धारा 7 और 8 के प्रयोजनों के लिए—

(क) कार्यवाहियां पटना उच्च न्यायालय में या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तब तक लम्बित समझी जाएंगी जब तक कि उस न्यायालय ने पक्षकारों के बीच के सभी विवाद्यक, जिनके अन्तर्गत कार्यवाहियों के खर्चे के विनिर्धारण के बारे में कोई विवाद्यक भी है, न निपटा दिए हों, और कार्यवाहियों के अन्तर्गत अपीलें, उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के आवेदन, पुनरीक्षण का अर्जियां और रिटों की अर्जियां भी होंगी ;

(ख) पटना उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या खण्ड न्यायालय के प्रति निर्देश भी हैं, और किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आदेश के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत उस न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा पारित या किए गए किसी दण्डादेश, निर्णय या डिक्री के प्रति निर्देश भी हैं।

भाग 5

व्यय का प्राधिकरण

11. अन्तरित राज्यक्षेत्रों में व्यय के लिए धन का, विद्यमान विनियोग अधिनियम के अधीन, विनियोग—(1) बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य के विधान-मंडल द्वारा, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें नियत दिन पड़ता है, किसी भाग के बारे में किसी व्यय को पूरा करने के लिए, उस राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए, नियत दिन के पूर्व पारित कोई भी अधिनियम, उस दिन से ही उन राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में भी प्रभावी होगा जो भाग 2 के उपबन्धों द्वारा उस राज्य को अन्तरित किए गए हैं और उस राज्य में किसी सेवा के लिए व्यय की जाने के लिए ऐसे अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रकम में से कोई रकम उन राज्यक्षेत्रों में व्यय करना उस राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा।

(2) बिहार का या उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, नियत दिन के पश्चात्, उस राज्य की संचित निधि में से, नियत दिन से आरम्भ होने वाली छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए कोई ऐसा व्यय, जिसे वह उस राज्य को अन्तरित राज्यक्षेत्रों में किसी प्रयोजन या सेवा के लिए आवश्यक समझता है, उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा व्यय की मंजूरी होने तक प्राधिकृत कर सकेगा।

12. बिहार और उत्तर प्रदेश के लेखाओं के सम्बन्ध में रिपोर्टें—बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य के लेखाओं के सम्बन्ध में, नियत दिन से पूर्व की किसी कालावधि के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में से हर एक के राज्यपाल को निवेदित की जाएंगी जो उन्हें राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवाएगा।

भाग 6

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

13. भूमि और माल—(1) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य की सब भूमि और सब भंडार, वस्तुएं और अन्य माल जो अन्तरित राज्यक्षेत्रों में हों, नियत दिन से ही उस राज्य को संक्रान्त हो जाएंगे जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं।

(2) इस धारा में "भूमि" पद के अन्तर्गत हर प्रकार की स्थावर सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति में या उस पर, कोई अधिकार भी हैं।

14. करों का बकाया—अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित सम्पत्ति पर किसी कर या शुल्क का, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व भी है, बकाया वसूल करने का या किसी ऐसी दशा में जिसमें किसी अन्य कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान अन्तरित राज्यक्षेत्रों में है, उस अन्य कर या शुल्क के बकाया वसूल करने का, बिहार या उत्तर प्रदेश का अधिकार, उस राज्य को होगा जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं।

15. उधार और अधिदाय वसूल करने का अधिकार—अन्तरित राज्यक्षेत्रों में किसी स्थानीय निकाय, सोसाइटी, कृषक या अन्य व्यक्ति को नियत दिन के पूर्व बिहार या उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए किन्हीं उधारों या अधिदायों को वसूल करने का अधिकार उस राज्य को होगा जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं।

16. वसूल किए गए करों के आधिक्य का प्रतिदाय—अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित सम्पत्ति पर किसी कर या शुल्क के, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व भी है, वसूल किए गए आधिक्य के प्रतिदाय करने का बिहार या उत्तर प्रदेश का दायित्व उस राज्य का दायित्व होगा जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं, और ऐसी किसी दशा में जिसमें किसी अन्य कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान अन्तरित राज्यक्षेत्रों में है उस कर या शुल्क के वसूल किए गए आधिक्य का प्रतिदाय करने का बिहार या उत्तर प्रदेश का दायित्व भी उस राज्य का दायित्व होगा जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं।

17. निक्षेप—अन्तरित राज्यक्षेत्रों में किए गए किसी सिविल निक्षेप या स्थानीय निधि निक्षेप के बारे में बिहार या उत्तर प्रदेश का दायित्व नियत दिन से ही उस राज्य का दायित्व होगा जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं।

18. संविदाएं—(1) जहां बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य ने, नियत दिन के पूर्व कोई संविदा अपनी कार्यपालन शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य के किन्हीं प्रयोजनों के लिए, की है वहां वह संविदा—

(क) उस दशा में जब वे प्रयोजन ऐसे हों जो उस दिन से ही अन्तरित राज्यक्षेत्रों से अनन्यत: सम्बन्धनीय हों, तब उस राज्य की कार्यपालन शक्ति के प्रयोग में की गई समझी जाएगी जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं ; तथा

(ख) किसी अन्य दशा में, उस राज्य की कार्यपालन शक्ति के प्रयोग में की गई समझी जाएगी जिसने संविदा की हो, और वे सभी अधिकार और दायित्व, जो ऐसी किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हों, उस विस्तार तक जिस तक वे उस राज्य के अधिकार या दायित्व हैं, जिसने संविदा की हो, उस राज्य के अधिकार और दायित्व हो जाएंगे जो उपर्युक्त खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन दायित्वों के अन्तर्गत जो किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हों—

(क) उस संविदा से संबद्ध कार्यवाहियों में किसी न्यायालय या अन्य अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश या अधिनिर्णय की तुष्टि करने का कोई दायित्व ; तथा

(ख) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में या उनके संबंध में उपगत व्ययों के बारे में कोई दायित्व,

भी समझा जाएगा।

(3) यह धारा इस भाग के उन अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो उधारों, प्रत्याभूतियों और अन्य वित्तीय बाध्यताओं के बारे में दायित्वों के प्रभाजन से संबद्ध हैं।

19. अनुयोज्य दोष के बारे में दायित्व—जहां नियत दिन के ठीक पूर्व बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य, संविदा भंग से भिन्न, किसी अनुयोज्य दोष के बारे में किसी दायित्व के अधीन हो, वहां वह दायित्व—

(क) उस दशा में जब वाद हेतुक अन्तरित राज्यक्षेत्रों में सम्पूर्णत: उद्भूत हुआ है, उस राज्य का दायित्व होगा जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं ; तथा

(ख) किसी अन्य दशा में उस राज्य का दायित्व बना रहेगा जो उस दिन के ठीक पूर्व उस दायित्व के अधीन था।

20. सहकारी सोसाइटियों के प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व—जहां नियत दिन के ठीक पूर्व बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी के किसी दायित्व के बारे में प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायी हो, वहां वह दायित्व,—

(क) उस दशा में जब उस सोसाइटी की संक्रियाओं का क्षेत्र अन्तरित राज्यक्षेत्रों तक परिसीमित हो, उस राज्य का दायित्व होगा जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं ; तथा

(ख) किसी अन्य दशा में उस राज्य का दायित्व बना रहेगा जो उस दिन के ठीक पूर्व उस दायित्व के अधीन था।

21. उचन्त मदें—यदि किसी उचन्त मद के बारे में अन्ततोगत्वा यह पाया जाता है कि उसका इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आस्ति या दायित्व पर प्रभाव पड़ता है तो उसके बारे में उस उपबन्ध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

22. आस्तियों और दायित्वों का सहमति द्वारा प्रभाजन—जहां कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि किसी विशिष्ट आस्ति के फायदे या दायित्व के भार का उनमें प्रभाजन ऐसी रीति से किया जाना चाहिए जो इस भाग के पूर्वगामी

उपबन्धों द्वारा उपबन्धित रीति से भिन्न है, तो उनमें किसी बात के होते हुए भी, उस आस्ति का फायदा या दायित्व का भार उस रीति से प्रभाजित किया जाएगा जिस पर सहमति हो गई हो ।

23. कुछ दशाओं में आबंटन या समायोजन का आदेश करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—जहां कि इस भाग के उपबन्धों में से किसी के आधार पर बिहार या उत्तर प्रदेश राज्यों में से कोई भी, किसी सम्पत्ति का हकदार हो जाता है या कोई फायदे अभिप्राप्त कर लेता है या किसी दायित्व के अधीन हो जाता है, और नियत दिन से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर, दोनों में से किसी राज्य द्वारा किए गए निर्देश पर, केन्द्रीय सरकार की यह राय होती है कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि वह सम्पत्ति या वे फायदे दूसरे राज्य को अन्तरित किए जाने चाहिएं या उसके साथ बांटे जाने चाहिएं, या दूसरे राज्य द्वारा उस दायित्व के लिए अभिदाय किया जाना चाहिए, वहां उक्त सम्पत्ति या फायदे दोनों राज्यों के बीच ऐसी रीति से आबंटित किए जाएंगे या उस राज्य को जो उस दायित्व के अधीन है, दूसरा राज्य उसके बारे में ऐसा अभिदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार दोनों राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा, अवधारित करे।

24. व्यय का संचित निधि पर भारित होना—बिहार या उत्तर प्रदेश राज्यों में से किसी के द्वारा दूसरे राज्य को इस भाग के उपबन्धों के आधार पर संदेय सभी राशियां उस राज्य की संचित निधि पर भारित होंगी जिसके द्वारा ऐसी राशियां संदेय हैं ।

भाग 7

विधिक और प्रकीर्ण उपबन्ध

25. राज्य वित्तीय निगम और राज्य विद्युत बोर्ड—नियत दिन से ही—

(क) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए गठित वित्तीय निगमों, तथा

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अधीन उक्त राज्यों के लिए गठित राज्य विद्युत बोर्डों,

के बारे में यह समझा जाएगा कि वे धारा 3 के उपबन्धों द्वारा उन राज्यों के यथापरिवर्तित क्षेत्रों सहित, उन राज्यों के लिए, गठित किए गए हैं ।

26. विधियों का राज्यक्षेत्रीय विस्तार—धारा 3 के उपबन्धों के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उन राज्यक्षेत्रों में कोई तब्दीली की है जिन पर नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई विधि विस्तारित या लागू है और जब तक कि सक्षम विधान-मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं किया जाता, ऐसी किसी विधि में बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनसे वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जो नियत दिन से ठीक पूर्व उस राज्य में थे ।

27. विधियों के अनुकूलित करने की शक्ति—बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में किसी विधि के लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ, समुचित सरकार, नियत दिन से एक वर्ष के अवसान के पूर्व, आदेश द्वारा, विधि के ऐसे अनुकूलन और उपान्तर, चाहे निरसन या संशोधन के रूप में, कर सकेगी जो आवश्यक या समीचीन हों, और तदुपरि हर ऐसी विधि, जब तक कि वह किसी सक्षम विधान-मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं कर दी जाती, इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "समुचित सरकार" पद से संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से सम्बन्धित किसी विधि के बारे में, केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य विधि के बारे में, राज्य सरकार, अभिप्रेत है ।

28. विधियों के अर्थ लगाने की शक्ति—इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन से पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया है, कोई भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, जो ऐसी विधि का प्रवर्तन करने के लिए अपेक्षित या सशक्त है, बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उसके लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ, उस विधि का अर्थ, सार पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी रीति से लगा सकेगा जो उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष के मामले के बारे में आवश्यक या उचित हो ।

29. विधिक कार्यवाहियां—जहां नियत दिन से ठीक पूर्व, बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य, इस अधिनियम के अधीन दूसरे राज्य को अन्तरित किसी सम्पत्ति, अधिकारों या दायित्वों के बारे में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में पक्षकार है, वहां दूसरे राज्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस राज्य के स्थान पर जिससे ऐसी सम्पत्ति, अधिकार या दायित्व अन्तरित किए गए हैं, उन कार्यवाहियों में, यथास्थिति, पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है या पक्षकार के रूप में जोड़ा गया है, और कार्यवाहियां तद्नुसार चालू रह सकेंगी ।

30. लम्बित कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) हर कार्यवाही जो किसी ऐसे क्षेत्र में जो नियत दिन को बिहार या उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर पड़ता है, उस दिन से ठीक पूर्व (उच्च न्यायालय से भिन्न) किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष लम्बित है, उस दशा में जब वह ऐसी कार्यवाही है जो अनन्यत: उन राज्यक्षेत्रों के किसी भाग से सम्बद्ध है जो उस दिन से ही दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र हों, दूसरे राज्य में के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को अन्तरित हो जाएगी ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई कार्यवाही उपधारा (1) के अधीन अन्तरित हो जानी चाहिए या नहीं, तो उसे उस क्षेत्र के बारे में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा जिसमें वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जिसके समक्ष वह कार्यवाही नियत दिन को लम्बित है, कृत्य कर रहा है और उस उच्च न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) इस धारा में,—

(क) "कार्यवाही" के अन्तर्गत कोई वाद, मामला या अपील भी है ; तथा

(ख) किसी राज्य में के "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी" से—

(i) वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जिसमें या जिसके समक्ष उस दशा में कार्यवाही हुई होती जब नियत दिन के पश्चात् कार्यवाही संस्थित की गई होती, अथवा

(ii) शंका की दशा में उस राज्य में का ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जिसे नियत दिन के पश्चात् उस राज्य की सरकार, या नियत दिन से पूर्व दूसरे राज्य की सरकार, तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी अवधारित करती है।

31. कतिपय न्यायालयों में विधि-व्यवसाय करने का प्लीडरों का अधिकार—कोई व्यक्ति जो अन्तरित राज्यक्षेत्रों में के किन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों में विधि-व्यवसाय करने के लिए हकदार प्लीडर के रूप में नियत दिन के ठीक पूर्व नामांकित है, वह इस बात के होते हुए भी कि उन न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के सभी राज्यक्षेत्र या उनके कोई भाग दूसरे राज्य को अन्तरित हो गए हैं, उस दिन से छह मास की कालावधि तक, उन न्यायालयों में विधि-व्यवसाय करने का हकदार बना रहेगा।

32. सीमा-स्तम्भों आदि का सन्निर्माण—(1) उस राज्य सरकार के लिए, जो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी सीमा-स्तम्भ के सन्निर्माण के लिए उत्तरदायी है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्तम्भ सन्निर्मित और अनुरक्षित कराए और कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसी किसी बात के लिए जो इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, उस राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी।

(2) सीमा-स्तम्भों का निरीक्षण बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए।

(3) जो कोई किसी सीमा-स्तम्भ को जानबूझकर हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन के किसी अपराध की जांच और उसका विचारण बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में से किसी के भी न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा।

33. अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए सीमांकन की विधिमान्यता—यथास्थिति, गंगा नदी या घाघरा नदी के सम्बन्ध में नियत स्थिर सीमा के सीमांकन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई सभी बातें और कार्रवाइयां, वहां तक जहां तक कि वे धारा 3 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अनुरूप हैं, विधि के अनुसार की गई समझी जाएंगी।

34. अन्य विधियों से असंगत उपबन्धों का प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध उनसे असंगत किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

35. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी कोई बात कर सकेगा जो उन उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

36. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए नियम, शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

[1][(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]।

---

[1] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अनुसूची

[धारा 3(2) देखिए]

स्पष्टीकारक टिप्पण

इस अनुसूची में उल्लिखित गांवों की सीमाएंऔर नाम उन सीमाओं और नामों के प्रति निर्देश से हैं जो 1881-83 की कालावधि के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर किए उन सर्वेक्षणों के पन्नों में दिखाए गए हैं। जिनके दायरे में बिहार राज्य के सारन और शाहाबाद जिले और उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के तत्संबंधी क्षेत्र भी आए थे, और जहां ऐसे पन्ने उपलब्ध नहीं हैं वहां अन्य किसी ऐसे अभिलेख में जिसकी बाबत बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से एक मास के भीतर, सहमत हो जाती हैं कि वे सुसंगत अभिलेख हैं और जहां ऐसी सहमति नहीं हो पाती वहां उसे अभिलेख में जिसका धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी सुसंगत होना अवधारित करे, दिखाए गए हैं।

इस अनुसूची में गंगा या घाघरा नदियां और उनके ऊंचे किनारे जहां कहीं भी उल्लिखित हैं, वहां वे पूर्वगामी पैरा में उल्लिखित सर्वेक्षण अभिलेखों में दिखाए गए, यथास्थिति, भौगोलिक नदी या किनारे की स्थिति के प्रति, निर्देश से हैं।

गंगा सेक्टर

इस सेक्टर में सीमा (लगभग अक्षांश 25° 44’ 10” देशान्तर 84° 36’ 06”) पर के एक बिन्दु से चलेगी जो सीताब दियारा (बिहार), महाजी कोंडरहा (उत्तर प्रदेश) और खवासपुर (जो अभी तक उत्तर प्रदेश में था) के बीच पड़ने वाली बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की नियत सीमा पर है और (दलजीत टोला के निकट) बाबूडेरा गांव की वर्तमान आबादी के स्थान से लगभग आधा मील दक्षिण-पश्चिम में अवस्थित है। तदनुसार ऊपर वर्णित विद्यमान नियत सीमा के वर्तमान संरेखण का वह भाग जो इस बिन्दु और गंगा नदी के बीच पड़ता है, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच की सीमा नहीं रह जाएगा।

2. इस बिन्दु से सीमा गंगा के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखाओं में अनुक्रमश: (लगभग अक्षांश 25° 44’ 12”, देशान्तर 84° 33’ 44”) पर के और लगभग (अक्षांश 25° 44’ 06”, देशान्तर 84° 33’ 46”) पर के बिन्दुओं को मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि महाजी कोंडरहा और कोंडरहा गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में रहें तथा खवासपुर गांव पूरी तरह से बिहार में रहे। इस बिन्दु से आगे सीमा इस प्रकार कि मोहनपुर और मंडरौली कन्स या त्रिभुवानी गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में रहें तथा खवासपुर, पदुमनियां, सोहरा, बलुआ नर्गदा से अनुलग्न इंगलिश आराजी, पिपरपाती और सलेमपुर दियारा, ममलूका सरकार गांव पूरी तरह से बिहार में रहें, उनकी सामान्य सीमा के साथ तब तक चलेगी जब तक कि वह गंगा के ऊंचे किनारे के भीतर (लगभग अक्षांश 25° 43’ 35”, देशान्तर 84° 32’ 32”) पर बिन्दु तक पहुंच जाए। इस बिन्दु से सीमा गंगा के ऊंचे किनारों पर सीधी रेखा में (लगभग अक्षांश 25° 43’ 26”, देशान्तर 84° 32’ 12”) (लगभग अक्षांश 25° 40’ 56” देशान्तर 84° 31’ 52”) और (लगभग अक्षांश 25° 40’ 30”, देशान्तर 84° 31’ 20”) पर के बिन्दुओं को मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि रघुनाथपुर, दिवाकर, डेहरी, केवटिया, नरायनपुर, सिंघई, धरमपुर डोकटी और महाजी डोकटी गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं तथा सलेमपुर दियारा, ममलूका सरकार, सलेमपुर परसा और टेक सेमर गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं।

3. तब यह सीमा बारासिंघा बुजुर्ग गांव के उत्तरी-पश्चिमी कोने पर और गंगा नदी के ऊंचे किनारों के भीतर (लगभग अक्षांश 25° 41’ 17”, देशान्तर 84° 28’ 21” पर) अवस्थित बिन्दु पर पहुंचने तक इस प्रकार कि महाजी डोकटी, आराजी जब्ती, महाजी नौबरार नम्बर, 49, नौबरार बन्दोबस्ती नम्बर 48, टीका सेमरिया और निपनियां गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं और जमीन फाजिल, सुरेमानपुर हरनारायण और बारासिंघा बुजुर्ग गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं, उन गांवों की सामान्य सीमाओं के साथ-साथ में चलेगी। इस बिन्दु से सीमा सीधी रेखा में, गंगा के ऊंचे किनारों (लगभग अक्षांश 25° 41’ 35”, देशान्तर 84° 28’ 05” पर) अवस्थित अन्य बिन्दु तक इस प्रकार चलेगी कि नरदरा गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाए और परसोतिमपुर बभनौली और बहोरनपुर चक्की गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं। फिर सीमा गंगा के ऊंचे किनारों के भीतर (लगभग अक्षांश 25° 41’ 34”, देशान्तर 84° 25’ 45”) पर अवस्थित बिन्दु तक पहुंचने तक इस प्रकार कि नरदरा, निपनियां पटखौली, उचितपुर, वहुआरा, उधोपुर, नौरंगा और भगवानपुर गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं तथा पिपरा गनेश दामोदरपुर और जवइहनियां गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं, उन गांवों की सामान्य सीमाओं के साथ-साथ चलेगी। इस बिन्दु से आगे सीमा बहोरनपुर गांव के उत्तरी पश्चिमी कोने पर (लगभग अक्षांश 25° 41’ 54”, देशान्तर 84° 25’ 02” पर) अवस्थित बिन्दु तक पहुंचने तक भगवानपुर और बहोरनपुर गांव की सामान्य सीमा के साथ इस प्रकार चलेगी कि पश्चात्‌वर्ती गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाए।

4. इसके बाद सीमा गंगा के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखाओं में अनुक्रमश: (लगभग अक्षांश 25° 41’ 55”, देशान्तर 84° 24’ 33”) और (लगभग अक्षांश 25° 42’ 33”, देशान्तर 84° 24’ 11”) पर अवस्थित बिन्दुओं को मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि नौरंगा गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाए और दूसरी ओर नौरंगा चक्की और सोनबरसा गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं। इस बिन्दु से आगे सीमा गंगा के ऊंचे किनारों के भीतर (लगभग अक्षांश 25° 43’ 55”, देशान्तर 84° 23’ 11”) पर अवस्थित बिन्दु तक पहुंचने तक इस प्रकार कि नौरंगा भुआल छपरा, पांडेपुरा, रामपुर और उदईछपरा गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं तथा नौरंगा चक, शिवपुर और बरियारपुर गांव पूरी तरह से बिहार में आएं उन गांवों की सामान्य सीमाओं के साथ-साथ चलेगी। इस बिन्दु से सीमा उदईछपरा की पश्चिमी सीमा के साथ गंगा के ऊंचे किनारों तक चलेगी और तब गंगा नदी के ऊंचे किनारों (लगभग अक्षांश 25° 44’ 12”, देशान्तर 84° 22’ 41”) पर अवस्थित एक बिन्दु तक इस प्रकार कि उदईछपरा, टोला बड़े बाबू, कौलपत छपरा उर्फ दुबे छपरा

प्रथम भाग पचरूखिया, तूलापुर आराजी माफी खेदन कुंवर और दुर्जनपुर गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं और तूलापुर और सुघर छपरा गांव और दुर्जनपुर चक गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं उन गांवों की सामान्य सीमा के साथ-साथ चलेगी । तब सीमा सीधी रेखा में अनुक्रमश: (लगभग अक्षांश 25° 44’ 05”, देशान्तर 86° 22’ 38”) और (लगभग अक्षांश 25° 44’ 29”, देशान्तर 84° 22’ 04”) पर अवस्थित बिन्दुओं को मिलाती हुई चलेगी और शुक्लपुरा गांव के उत्तर पश्चिमी कोने से दक्षिण में और नदी के ऊंचे किनारों (लगभग अक्षांश 25° 44’ 33”, देशान्तर 84° 22’ 00”) पर अवस्थित बिन्दु तक पहुंचने तक, फिर इस प्रकार कि दुर्जनपुर और डागराबाद गांव उत्तर प्रदेश में आएं तथा शुक्लपुरा या घिनहू गांव बिहार में आएं, उन गांवों की सामान्य सीमाओं के साथ-साथ चलेगी।

5. इसके बाद सीमा सीधी गायघाट गांव के दक्षिणी-पूर्वी कोने पर और गंगा नदी के ऊंचे किनारों के भीतर (लगभग अक्षांश 25° 44’ 35”, देशान्तर 84° 20’ 58”) पर अवस्थित बिन्दु तक इस प्रकार चलेगी कि डांगराबाद और बिगहगांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं तथा नैनीजोर गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाए और तब वह गायघाट गांव के दक्षिणी पश्चिमी कोने (लगभग अक्षांश 25° 44’ 37”, देशान्तर 84° 20’ 50”) पर अवस्थित बिन्दु तक सीधी रेखा में इस प्रकार चलेगी कि यह गांव उत्तर प्रदेश में आ जाए । इस बिन्दु से सीमा गंगा के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में अनुक्रमश: (लगभग अक्षांश 25° 44’ 37”, देशान्तर 84° 20’ 18”), (लगभग अक्षांश 25° 43’ 52”, देशान्तर 84° 19’ 49”), (लगभग अक्षांश 25° 42’ 29”, देशान्तर 84° 19’ 54”), (लगभग अक्षांश 25° 40’ 14”, देशान्तर 84° 19’ 35”) तथा (लगभग अक्षांश 25° 40’ 04”, देशान्तर 84° 19’ 17”) पर अवस्थित बिन्दुओं को मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि बघोंच, पोखरा, बाबूबल, हल्दी, रिकनी, छपरा, हांसनगर और जवहीं गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं तथा नैनीजोर, महुआर और बहादुरी पट्टी गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं । तब सीमा (लगभग अक्षांश 25° 39’ 54”, देशान्तर 84° 18’ 21”) पर अवस्थित बिन्दु पर पहुंचने तक इस प्रकार कि जवहीं गांव उत्तर प्रदेश में आए तथा दूसरी ओर वीस्सूपुर और जगदीशपुर गांव बिहार में आ जाएं, उन गांवों की सामान्य सीमाओं के साथ साथ चलेगी । इस बिन्दु से आगे सीमा गंगा के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में सपही गांव के उत्तरी पूर्वी कोने के निकट और गंगा के ऊंचे किनारे के मोड़ (लगभग अक्षांश 25° 39’ 39”, देशान्तर 84° 17’ 43”) पर अवस्थित बिन्दु तक इस प्रकार चलेगी कि जवहीं गांव उत्तर प्रदेश में आ जाए तथा पांडेपुर और हिरदही गांव बिहार में आ जाएं । तब सीमा सपही गांव के उत्तरी-पश्चिमी कोने (लगभग अक्षांश 25° 39’ 35”, देशान्तर 84° 16’ 38”) पर अवस्थित बिन्दु तक इस गांव की उत्तरी सीमा के साथ इस प्रकार चलेगी कि यह गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाए ।

6. तब सीमा गंगा के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में लगभग (लगभग अक्षांश 25° 39’ 43”, देशान्तर 84° 16’ 35”), (लगभग अक्षांश 25° 39’ 43”, देशान्तर 84° 13’ 30”), (लगभग अक्षांश 25° 40’ 08”, देशान्तर 84° 12’ 28”), (लगभग अक्षांश 25° 42’ 06”, देशान्तर 84° 12’ 01”) और (लगभग अक्षांश 25° 43’ 03”, देशान्तर 84° 10’ 35”) पर अनुक्रमश: अवस्थित बिन्दुओं को मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि जवहीं, शिवपुर, दीयर गंगबरार और शिवपुर दीयर गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं तथा मनीपुर, शिवपुरी दीयर चक्की, परानपुर, फरहदा, खरहा टांड इस्टेट नं० 1 तौफीर, गंगोली इस्टेट नं० 1 तौफीर, डूभा इस्टेट नं० 1 तौफीर, राजापुर और दियारा परतापपुर गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं ।

7. तब इस बिन्दु से आगे (लगभग अक्षांश 25° 43’ 24”, देशान्तर, 84° 07’ 52”) पर अवस्थित बिन्दु तक सीमा का संरक्षण ऐसा होगा जिससे शिवपुर दीयर, शिवरामपुर, धमौली, कासिमपुर, वजीरापुर, भीखमपुरा, तुर्कबलिया, शाहपुर दिघवारा, सोभापुर, और विजईपुर गांव उत्तर प्रदेश में आ जाएं तथा दियारा, परतापपुर, भृगु आश्रम, दियारा जगदीशपुर और परसनपाह गांव बिहार में आ जाएं ।

8. इसके बाद सीमा गंगा के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में (लगभग अक्षांश 25° 43’ 16”, देशान्तर 84° 06’ 25”), (लगभग अक्षांश 25° 42’ 48”, देशान्तर 84° 05’ 28”), (लगभग अक्षांश 25° 41’ 40”, देशान्तर 84° 04’ 37”), (लगभग अक्षांश 25° 39’ 06”, देशान्तर 84° 05’ 14”), (लगभग अक्षांश 25° 38’ 10”, देशान्तर 84° 04’ 59”), (लगभग अक्षांश 25° 37’ 33”, देशान्तर 84° 02’ 47”) और (लगभग अक्षांश 25° 36’ 52”, देशान्तर 84° 01’ 10”) पर अवस्थित बिन्दुओं को अनुक्रमश: मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि माल्देपुर, परसी पट्टी या चिकिया, हैबतपुर या बेगपुर, तरनपुर, बांसथाना, इस्मैला से सम्बन्धित पांडेपुर, टकरसंड से सम्बन्धित हसनपुरा, अंजोरपुर, कोट, (कोट से सम्बन्धित) आराजी दियारा, नौबरार शाहपुर 1873, नौबरार शाहपुर 1880, नौबरार हुल्हड़िया 1880, नौबरार पलिया 1881, नौबरार श्रवणपुर 1881, नौबरार राय किशन पट्टी 1881, नौबरार वेलसिपाह 1881, गंगबरार शिवपुर और गंगबरार शीतलपट्टी गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं और परसनपाह, सुल्तनही, डिलिया स्टेट नं०1 तौफीर, परनही कला, परनही खुर्द, उमरपुर दियारा, सूरातांड या बड़का गांव, नगपुरा, पद्मपुर, देसर बुजुर्ग, मिसरौलिया, उमरपुर दियारा, मइरिया और अर्जुनपुर गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं ।

9. तब सीमा गंगा के ऊंचे किनारे के भीतर सीधी रेखा में (लगभग अक्षांश 25° 34’ 09”, देशान्तर 83° 57’ 29”) और (लगभग अक्षांश 25° 33’ 36”, देशान्तर 83° 55’ 51”) पर अवस्थित बिन्दुओं को अनुक्रमश: मिलाती हुई चलेगी । अन्तिम बिन्दु उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर जिलों और बिहार के शाहाबाद जिले की सीमाओं का त्रिसंगम है ।

10. ऊपर वर्णित सीमा एक अटूट रेखा होगी ।

घाघरा क्षेत्र

1. इस क्षेत्र में सीमा बिहार में सीताबदिआरा और उत्तर प्रदेश में जजीरा नम्बर 36 के बीच की वर्तमान नियत सीमा पर और वर्तमान नौकाटौला गांव से उत्तर पूर्व की ओर एक मील की दूरी पर (लगभग अक्षांश 25° 46’ 21”, देशान्तर 84° 37’ 16”) पर अवस्थित एक बिन्दु से प्रारम्भ होगी ।

2. इस बिन्दु से सीमा घाघरा नदी के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में (लगभग अक्षांश 25° 46’ 18”, देशान्तर 84° 37’ 31”), (लगभग अक्षांश 25° 47’ 27”, देशान्तर 84° 37’ 36”), (लगभग अक्षांश 25° 49’ 29”, देशान्तर 84° 35’ 04”), (लगभग अक्षांश 25° 49’ 55”, देशान्तर 84° 34’ 19”) और (लगभग अक्षांश 25° 50’ 21”, देशान्तर 84° 33’ 06”) पर अवस्थित बिन्दुओं को अनुक्रमश: मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि सीताबदियारा, दियारा नौबरार, गोदनान, सेमरिया, भादपा बुजुर्ग, मन्झनपुर, कौंरू थौह मांझीरवास, दियारा मांझी और महाजी डमरी गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं और जज़ीरा नम्बर 36 और चांद दियारा गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं । तब सीमा घाघरा के ऊंचे किनारे पर (लगभग अक्षांश 25° 51’ 31”, देशान्तर 84° 32’ 32”) पर अवस्थित बिन्दु तक पहुंचने तक इस प्रकार कि महाजी चांद दियारा या डुमरिया गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाए तथा चांद दियारा और महाजी अधसिझुआ गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं, उन गांवों की सामान्य सीमा के साथ-साथ चलेगी ।

3. इसके बाद सीमा घाघरा के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में (लगभग अक्षांश 25° 51’ 33”, देशान्तर 84° 32’ 39”), (लगभग अक्षांश 25° 52’ 33”, देशान्तर 84° 32’ 04”), (लगभग अक्षांश 25° 52’ 16”, देशान्तर 84° 30’ 47”) और (लगभग अक्षांश 25° 53’ 08”, देशान्तर 84° 29’ 34”) पर अवस्थित बिन्दुओं को अनुक्रमश: मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि जजीरा हर्फ बे (पूरब), डुमरी, बभनौली, या भमौली, जजीरा हर्फ बे (पश्चिम), और डुमाईगढ़ गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं तथा महाजी अधसिझुआ और गोपाल नगर गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं । तब सीमा घाघरा नदी के ऊंचे किनारे पर (लगभग अक्षांश 25° 55’ 49”, देशान्तर 84° 24’ 46” पर) अवस्थित बिन्दु तक पहुंचने तक इस प्रकार कि मटियार दियारा, महाजी नौबरार बशिष्टनगर, नौबरार रामनगर, गोपालपुर और रामनगर शुमाली गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं और गोपाल नगर, बशिष्टनगर, रामनगर जनूबी, आसमानपुर चतुर्मुजपुर, गोबिन्दपुर अलग दियरी, जमीन गंगबरारी पट्टी मशरिक और जजीरा दियारा रामपुर गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं, उन गांवों की सामान्य सीमाओं के साथ चलेगी ।

4. इस बिन्दु से सीमा घाघरा नदी के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में (अलग अक्षांश 25° 56’ 05”, देशान्तर 84° 23’ 16”), (लगभग अक्षांश 25° 57’ 27”, देशान्तर 84° 21’ 21”), (लगभग अक्षांश 25° 56’ 36”, देशान्तर 84° 18’ 50”), (लगभग अक्षांश 25° 56’ 39”, देशान्तर 84° 17’ 55”), (लगभग अक्षांश 25° 57’ 28”, देशान्तर 84° 17’ 02”), (लगभग अक्षांश 25° 58’ 30”, देशान्तर 84° 14’ 49”) और (लगभग अक्षांश 25° 58’ 38”, देशान्तर 84° 14’ 46”) पर अवस्थित बिन्दुओं को अनुक्रमश: मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि सिसवन, गंगापुर, भागर निजामत, कचनार और ससनी दियारा, गभिराड़, दियारा गभिराड़ ममलूका सरकार, कौंसड पट्टी जुझार, दियारा कौंसड पट्टी पूरब, दियारा कौंसड पट्टी जुझार, दियारा कौंसड पट्टी पश्चिम, दियारा नरहन ममलूक सरकार और नरहान बदलू मौहकम पट्टी ककुलियत गांव, पूरी तरह से बिहार में आ जाएं और जजीरा दियारा रामपुर, रिदियारा भागर, दियारा नौबरार लक्ष्मीराय माधोराय, दियारा लक्ष्मीराय मधोराय, छाप धनन्तर, मरवटिया नौबरार और चक्की दियारा सुलतानपुर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं ।

5. तब सीमा घाघरा नदी के ऊंचे किनारों पर (लगभग अक्षांश 25° 59’ 24”, देशान्तर 84° 12’ 12” पर) अवस्थित बिन्दु तक पहुंचने तक इस प्रकार कि नरहान बदलू मौहकम पट्टी ककुलियत, दियारा भाबसिंहपुर, दियारा ककुलियत, या पट्टी ककुलियत, आदमपुर, पतार और दियारा नौबरार बन्दोबस्ती पतार गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं और आदमपुर चक्की गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएं, उन गांवों की सामान्य सीमाओं के साथ चलेगी । इस बिन्दु से सीमा घाघरा नदी के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में (लगभग अक्षांश 25° 59’ 15”, देशान्तर 84° 11’ 53”) और (लगभग अक्षांश 25° 59’ 35”, देशान्तर 84° 11’ 16”) पर अवस्थित बिन्दुओं को अनुक्रमश: मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि दियारा नौबरार बन्दोबस्ती पतार गांव पूरी तरह से बिहार में आएं और ककरघट्टा, गोंदौली और संगापुर गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अभिकर्ता जाएं । तब सीमा इस प्रकार कि विक्रमपुर गांव उत्तर प्रदेश में आ जाएं, लगभग उस गांव की उत्तरी सीमा के साथ-साथ सीधे (लगभग अक्षांश 25° 59’ 38”, देशान्तर 84° 11’ 08” पर) अवस्थित एक बिन्दु को जाएगी ।

6. इस बिन्दु से सीमा घाघरा के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में (लगभग अक्षांश 25° 59’ 39”, देशान्तर 84° 10’ 46” पर) अवस्थित बिन्दु को इस प्रकार जाएगी कि दियारा नौबरार बन्दोबस्ती पतार गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाए और एलासगढ़ गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाए । तब (लगभग अक्षांश 26° 01’ 27”, देशान्तर 84° 10’ 11”) पर अवस्थित बिन्दु तक संरेखण इस प्रकार का होगा कि दियारा मनियार टुकड़ा अव्वल गांव बिहार में आ जाए और महाजी मनियार टुकड़ा दोयम गांव उत्तर प्रदेश में आ जाए ।

7. इसके आगे सीमा घाघरा नदी के ऊंचे किनारों के भीतर सीधी रेखा में (लगभग अक्षांश 26° 03’ 07”, देशान्तर 84° 08’ 21”), (लगभग अक्षांश 26° 04’ 29”, देशान्तर 84° 07’ 26”), (लगभग अक्षांश 26° 05’ 34”, देशान्तर 84° 06’ 22”), (लगभग अक्षांश 26° 06’ 00”, देशान्तर 84° 05’ 27”) और (लगभग अक्षांश 26° 06’ 00”, देशान्तर 84° 03’ 27”) पर अवस्थित बिन्दुओं को अनुक्रमश: मिलाती हुई इस प्रकार चलेगी कि कशीला पचबेनिया, दियारा काशीदत्त, दियारा हरनाटांड, दरौली, दुबां करबां, करमाहा, अमरपुर, केवटलिया और डुमरहर खुर्द गांव पूरी तरह से बिहार में आ जाएं और देवारा महाजी काशीदत्त, देवारा हरनाटांड, देवारा दरौली, देवारा करमहा, देवारा अमरपुर, सीसोटार और लिलकर गांव पूरी तरह से उत्तर प्रदेशमें आ जाएं । अन्तिम बिन्दु बिहार के सारन जिले और उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया जिलों की सीमाओं का त्रिसंगम है ।

8. ऊपर वर्णित सीमा एक अटूट रेखा होगी ।

———